

सन्दर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई/2023/ 3 2

दिनांक: 13.09.2023

सेवा में,

श्री रामेश्वर पुत्र स्व. रघुनंदन सिंह,
निवासी अच्छेजा, तहसील हापुड,
जिला हापुड (उ. प्र.), मो. न. 9899955509

विषय : आपके आर. टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2023 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2023 के माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिंदु न. 1 से 5 तक की जानकारी मांगी है। इस अनुसार आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गयी जानकारी
1	खसरा नंबर 41 में DC 1 का खम्बा लगा है। 85 % मुआवजा जमीन का कितना बनाया गया है तथा फसल का कितना मुआवजा तथा कौन सी फसलों का किस किस को फसल का मुआवजा दिया गया है तथा कितना कितना	(i) खसरा नंबर 41 में DC1 के खम्बे का 85% जमीन के मुआवजे का भुगतान (नियमानुसार जो बनेगा) अभी तक नहीं किया गया है। जरूरी कार्यवाही एवं दस्तावेज प्राप्त करने के उपांत प्रभावित किसान को जमीन से सम्बंधित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। (ii) क्षतिग्रस्त फसल से सम्बंधित मुआवजा वितरण की जानकारी अनुलग्नक-1 (तालिका-1) में निहित है।
2	खसरा नंबर 43 में दो खम्बे लगे हैं। 85 % मुआवजा जमीन का कितना बनाया गया है तथा कौन कौन सी फसल का मुआवजा कितना कितना किस किस को दिया गया है	(i) खसरा संख्या 43 के अंतर्गत दो खम्बे LI 2/0 एवं LO 2/0 आते हैं जिनका 85 % जमीन का मुआवजे का भुगतान (नियमानुसार जो बनेगा) अभी तक नहीं किया गया है। जरूरी कार्यवाही एवं दस्तावेज प्राप्त करने के उपांत प्रभावित किसान को जमीन से सम्बंधित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

		(ii) क्षतिग्रस्त फसल से सम्बंधित मुआवजा वितरण की जानकारी अनुलग्नक-1 (तालिका-2) में निहित है ।
3	पार्थी को खसरा नंबर 41 व 43 मे कोई फसल मुआवजा नहीं मिला है। मेरा कितना कितना बनाया गया है।	खसरा संख्या 41 से सम्बंधित तहसील द्वारा सत्यापित फाइल मुआवजा हेतु लंबित है। तहसील के सभी संभन्धित अधिकारियों द्वारा जारी एवं सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन रिपोर्ट एवं फसलों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर एवं खसरा संख्या 41 से सम्बंधित मामलो का न्यायालय द्वारा निस्तारण के बाद ही मुआवजा वितरित किया जायेगा । खसरा संख्या 43 में आपसे सम्बंधित फसल क्षतिग्रस्त कि एवज में रिकॉर्ड अनुसार कोई मुआवजा देय नहीं है ।
4	खसरा नंबर 37 मे DC 2 खम्बा लगा है मे कौन सी फसलों तथा कितना मुआवजा दिया गया है।	खसरा संख्या 37 में क्षतिग्रस्त फसल से सम्बंधित मुआवजा वितरण की जानकारी अनुलग्नक-1 (तालिका-3) में निहित है ।
5.	खसरा नंबर 43 मे एक शीशम का पेड़ करीब 40 वर्ष पुराना लाइन के निचे आ गया है उसका मुआवजा कितना तथा किस किस को दिया है। शीशम का पेड़ मेरे कुरे मे आया है।	गांव मे कुरेबंदी लंबित होने के कारण मुआवजा वितरण नहीं किया गया है ।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के.मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ.क्षे. 1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ.क्षे.1.मुख्यालय,
SCO बे.संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद, हरियाणा-121002, फोन न.0129-2666301

धन्यवाद ।

भवदीय
३ वाट
३ १३/०९/२३
(अशोक कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक/सी.ई.ओ. एवं
पदनामित सी. पी. आई ओ, पी. एम.एस.टी. एल,
मेरठ, फोन.न.

अनुलग्नक-1

तालिका-1

बिंदु न. 1: फसल क्षतिग्रस्त की एवज में मुआवजे से सम्बंधित जानकारी:

बिंदु न.	प्रभावित किसान का नाम	मुआवजा राशि	फसल का प्रकार	किस कार्य के दौरान
1	श्री शिव कुमार त्यागी	रु.2549.00	गेहूं	फाउंडेशन कार्य
2	श्री रामकुमार त्यागी	रु.13893.00	धान	इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य
3	श्री जगदीश त्यागी	रु.62139.00	धान	
4	श्री रामावतार त्यागी	रु.2455.00	धान	
5.	श्री सीताराम त्यागी	रु.32786.00	धान	

तालिका-2

बिंदु न. 2: खसरा संख्या 43 में क्षतिग्रस्त फसल की एवज में मुआवजे से सम्बंधित जानकारी:

बिंदु न.	प्रभावित किसान का नाम	मुआवजा राशि	फसल का प्रकार	किस कार्य के दौरान
1	श्री जोगेन्द्र सिंह	रु.4609.00	जवार/चारा/बाजरा	फाउंडेशन कार्य
2	श्री महेंद्र सिंह	रु.9813.00	जवार/चारा/बाजरा	
3	श्री विनीत गर्ग	रु.26181.00	जवार/चारा/बाजरा	
4.	श्री महेंद्र सिंह	रु.117633.00	गन्ना	इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य
5.	श्री जोगेन्द्र सिंह	रु.56505.00	गन्ना	
6.	श्री मति सावित्री देवी	रु.3022.00	धान	
7.	श्री विनीत गर्ग	रु.98444.00	धान व गन्ना	

तालिका-3

बिंदु न. 4: खसरा संख्या 37 में क्षतिग्रस्त फसल की एवज में मुआवजे से सम्बंधित जानकारी:

बिंदु न.	प्रभावित किसान का नाम	मुआवजा राशि	फसल का प्रकार	किस कार्य के दौरान
1.	खसरा संख्या 37 में फाउंडेशन कार्य के दौरान गेहूं एवं सरसो की फसल क्षतिग्रस्त की एवज में कुल रु.96489.00 का भुगतान किया गया ।			
2.	खसरा संख्या 37 में इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य (DC 2/0 to DC 1/0 एवं DC 2/0 to 3/0) के दौरान धान की फसल क्षतिग्रस्त की एवज में कुल रु.136483.00 का भुगतान किया गया ।			

S.K. Jaiswal,
Senior GM, PMSTL

Akshat Tyagi,
Senior GM, DMSTL